

संख्या- 1623/एक-10-2023-33(2)/2021 टी०सी०

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ: दिनांक: 02/11/2023

विषय:- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 28 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2023 तक देहरादून में होने वाले 04 दिवसीय "6th World Congress on Disaster Management (WCDM)" आयोजन में प्रतिभाग करने हेतु बजट आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4741/रा० आ० का०/2023-24, दिनांक 26.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 28 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2023 तक देहरादून में होने वाले 04 दिवसीय "6th World Congress on Disaster Management (WCDM)" आयोजन में पार्टनर स्टेट बनने हेतु पंजीकरण शुल्क एवं उक्त कार्यक्रम में स्टॉल आदि लगाने में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0 18,00,000/- (अठ्ठारह लाख मात्र) की धनराशि राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम एवं शर्तें-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय पर लेखा-जोखा रखा जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013 - रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये ।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 18,00,000/- (अट्ठारह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by शैलेन्द्र मणि

त्रिपाठी

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी) Date: 02/04/2023 16:41:37

अनु सचिव। Approved

संख्या-1623/एक-10-2023,तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ ।
3. विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
6. कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग - 5
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/11/2023

प्रेषण संख्या:- 1623
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1623
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि० वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 137842680	1800000 137842680
	योग	वर्तमान प्रगामी	1800000 137842680	1800000 137842680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ अठहत्तर लाख बयालीस हजार छः सौ अस्सी

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन